

नम्बर
अहकाम
हुकम की
में जारी

संतोष बनाम शंकरलाल वगै०
मु०नं० 137/2017
प्रार्थना पत्र अ०धा० 212-आरटीए

दिनांक -11.02.2020 वकील पक्षकारान उपरिथत। मूल दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिकी किया जा चुका है। अब इस पत्रावली में आगे कार्यवाही जारी रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अरथाई निपेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता मूल दावे के संलग्न रहें।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

